[2010] 10 एस. सी. आर 1160

धर्मपाल सिंह

पंजाब राज्य

(2008 की आपराधिक अपील संख्या 1479)

सितंबर 09,2010

[हरजीत सिंह बेदी और चंद्रमौली के. आर.प्रसाद, जे. जे.]

नार्कोटिक ड्रग्स एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985-धारा 18, 35 और 54- में उपबंधित मादक पदार्थ अफीम व खसखस के लिए दंड---- ज्ञात कब्जे' के तथ्य के सम्बन्ध में । अभिनिर्धारित --- धारा 18 के तहत किसी मादक पदार्थ पर कब्ज़ा, सचेत कब्जे के तथ्य के रूप में अभियुक्त पर साबित करना आवश्यक -प्रारंभिक स्तर पर मादक पदार्थ के कब्जे में रखने के तथ्य को साबित करने का भार अभियोजन पर है और जब एक बार अभियुक्त पर मादक पदार्थ कब्जे में रखने का तथ्य साबित हो जाता है तो सचेत कब्ज़ा ना होने के तथ्य को साबित करने का भार अभियुक्त पर निर्वह्नित हो जाता है ।क्योंकि यह अभियुक्त के विशेष ज्ञान पर आधारित है- किसी मादक पर कब्ज़ा रखना एक मानसिक स्थिति पर आधारित है। धारा 35 मानसिक रूप से दोषी होने की वैधानिकता के स्तर को परिभाषित करती है और उक्त कारित अपराध की श्रेणी में आता है-तथ्यों के अनुसार, उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्त व सह अभियुक्त पर अधिरोपित दंड व

दोषसिद्धि धारा 18 के उपबंधित प्रावधानानुसार हस्तक्षेप कर परिवर्तन का कोई आधार नहीं है-अभियुक्त द्वारा संचालित और कब्जा किया गया वाहन और सह-अभियुक्त, जिससे अफीम बरामद की गई थी, वह सार्वजनिक परिवहन वाहन नहीं था-उक्त प्रकरण की परिस्थितियाँ इस निष्कर्ष पर ले जाती हैं कि अभियुक्त सचेत कब्जे में थे--परिस्थितियाँ उनके खिलाफ, बयान अंतर्गत धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता के तथ्यों में भी विधमान थी। जब्ती के समय स्वतंत्र गवाहों के न होने के आधार पर अभियोजन के सम्पूर्ण मामले को अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता।

थाना अधिकारी पीडब्लू 3 ने अन्य पुलिस कर्मियों के साथ गाड़ी को रोका। अपीलार्थी 'डी. एस.'। अपीलार्थी-'एमएस' सामने की सीट पर 'डीएस' के बगल में बैठा था। अफीम से भरा एक बोरा कार की डिक्की में 65 किलोग्राम वजन का पाया गया। जिसमे से 100 ग्राम का नमूना लिया गया,, जिसे एक सीलबंद लिफाफे में रखा गया और जाँच के लिए रासायनिक परीक्षक के पास भेजा गया। जो अफीम के रूप में पाया गया। इस आधार पर अपीलार्थियों पर नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक पदार्थ अधिनियम, 1983 की धारा 18 के तहत आरोप पत्र दायर किया गया था। विचारण न्यायालय ने उनके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से अपीलार्थियों को दोषमुक्त कर दिया। क्योंकि अभियोजन पक्ष अपीलार्थीगण के विरुद्ध अधिनयम की धारा 50 के अनुपालन को साबित करने में विफल रहा है। उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया की, इस अधिनियम की धारा

50 के प्रावधान इस प्रकरण में लागु नहीं होते हैं । उच्च न्यायालय द्वारा विचारण न्यायालय के दोषमुक्ति के आदेश को अपास्त किया गया और इस अधिनियम की धारा 18 के तहत प्रत्येक अपीलार्थीगण को 10 वर्ष का कठोर कारावास का दंड अधिरोपित कर दोषसिद्ध किया गया । जिसकी अपीलार्थीगण ने तत्काल अपील दायर की है ।

याचिकाकर्ताओं की अपील ख़ारिज ।

न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित-:

1.1- सचेत कब्जे के तथ्य के सम्बन्ध में -- अपीलार्थी' डी. एस. 'कार चलाते हुए पाया गया जबकि अपीलार्थी-'एमएस' उसके साथ यात्रा कर रहा था और कार की डिक्की से 65 किलोग्राम अफीम बरामद की गई। अपीलार्थी 'डी. एस.' द्वारा संचालित और कब्जे में लिया गया वाहन अपीलार्थी 'एम. एस.' सार्वजनिक परिवहन वाहन नहीं है। नार्कोटिक अधिनियम की धारा 18 के उलंघन को साबित करने के लिए सचेत कब्ज़ा प्रमाणित होना आवश्यक है । इसको प्रारंभिक स्तर पर साबित करने का भार अभियोजन पक्ष पर है और एक बार जब यह साबित हो जाता है तो आरोपमुक्त होने का कानूनी भार अभियुक्त पर स्थानांतरित हो जाएगा। अभियोजन पक्ष को विधि के अपेक्षित मानक सबूतों के साथ सभी उचित संदेहों से परे कब्जा साबित करना है । लेकिन क्या अभियुक्त को अपनी बेगुनाही साबित करने की संभावनाओं की आवश्यकताओं की प्रधानता

होगी। जब एक बार अभियुक्त की याचिका के तर्क संभावित प्रकृति के पाए जाते हैं वहां प्रारंभिक स्तर पर सबूत के बोझ का निर्वहन अभियोजन पक्ष,अभियुक्त पर अपराध का मुकदमा नहीं चलाएगा। इसके तहत अपराध की प्रकृति अधिक गंभीर होने के कारण किसी अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए उच्च स्तर के सबूतों की आवश्यकता होती है। अभिव्यक्त कब्जा सटीक और पूरी तरह से सभी कानूनों के सन्दर्भ में सार्वभौमिक उपयोग की तार्किक सक्षम परिभाषा में नहीं आता है । कब्जा एक बहुरूपी शब्द है और इसे समान रूप से लागू नहीं किया जा सकता है, यह अलग-अलग सन्दर्भो में अलग-अलग रंग धारण करता है। अधिनियम की धारा 18 के संदर्भ में एक बार कब्जा स्थापित होने के बाद आरोपी, जो दावा करता है, कि यह एक सचेत कब्ज़ा नहीं था, क्योंकि उसे इसका विशेष ज्ञान नहीं था । इस अधिनियम की धारा 54 अवैध वस्तुओं के अनुमान लगाने की ओर इंगित करती है। [पैरा 9] [1170-जी-एच; 1171-ए-ई]

1.2- इस अधिनियम की धारा 54 के एक साधारण अध्ययन से यह स्पष्ट है कि यह एक कानूनी कल्पना पैदा करती है और यह मानती है कि अवैध वस्तुओं के कब्जे वाला व्यक्ति जिसने अपराध किया हो यदि वह कब्जे का हिसाब देने में विफल रहता है, तो अपराध कब्ज़ा मय मानसिक स्थिति के अनुसार उसका कब्ज़ा संतोषजनक रूप से होने की अवधारणा की जाएगी और अधिनियम की धारा 35 दोषी मानसिक स्थिति होने की अवधारणा को वैधानिक मान्यता देती है। इसके अंदर तथ्यों का ज्ञान होना

शामिल है। इसलिए, इसे उसके संदर्भ में समझना होगा और जब इस आधार पर परीक्षण किया जाता है, तो यह पाया जाता है कि अपीलार्थी अफीम रखने के सम्बन्ध में संतोषजनक रूप से जवाब देने में सक्षम नहीं हुए हैं । मामले में एक बार कब्जा स्थापित हो जाने के बाद अदालत यह मान सकती है कि आरोपी की मानसिक स्थिति दोषपूर्ण थी और उसने अपराध किया है। [पैरा 9] [1172-सी-ई]

1.3. निष्पक्ष सुनवाई के लिए अधिनियम की धारा 313 Cr.P.C के तहत अभियुक्त को उसके विरूद्ध अभियोजन द्वारा दी गई साक्ष्य और परिसिथतियों के विरूद्ध अपना खंडन करने का एक अवसर की आवश्यकता होती है जिससे कि अभियोजन साक्ष्य के विरूद्ध अपनी साक्ष्य प्रस्तुत कर सके । इस प्रावधान का मुख्य उद्देश्य अभियोजन के खंडन में अभियुक्त को अपना पक्ष रखने हेतु सक्षम बनाना है । इस प्रावधान का उद्देश्य सम्पूर्ण अभियोजन साक्ष्य और अतार्किक उत्तर प्रस्तुत करने का नहीं है, बल्कि अभियोजन की आयी ऐसी साक्षिक परिसिथतियां जो अभियुक्त के विरूद्ध हैं न्यायालय को उसके समक्ष आई साक्ष्य के मूल्यांकन करने के लिये ऐसा स्पष्टिकरण देना सक्षम बनाता है लेकिन ऐसी परिसिथतियां और स्पष्टिकरण के आधार पर कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं निकला जा सकता । यह कोई बेकार की औपचारिकता नहीं है, बल्कि अभियुक्त से स्पष्ट और बिना छिपे हुए तार्किक पूछताछ की जानी चाहिए । लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि चूक अनिवार्य रूप से मुकदमे को दूषित कर देगी। मुकदमा तभी दूषित

माना जायेगा जब यह तथ्यों में पाया जाये कि यह न्याय को निष्फल कर देगा । [पैरा 12] [1174-जी-एच; 1175 ए-बी]

1.4. तत्काल मामले के तथ्यों पर विचार करने पर, यह पाया गया है कि अभियोजन पक्ष यह साबित करना चाहता है कि अपीलकर्ताओं के पास अवैध वस्तु के रूप में अफीम डिक्की से बरामद की गई थी जो उनके कब्जा से चलाया हुआ वाहन जबत किया गया । जो एक कब्जे मय मानसिक स्थिति है जो अभियोजन द्वारा खुलासा की गई साक्ष्य के रूप में जप्त कार की डिक्की में रखी अफीम दर्शित है । उपरोक्त सक्रीय साक्ष्य से यह निष्कर्ष निकलता है कि अपीलार्थियों के पास सचेत कब्ज़ा था। इस प्रकार, साक्ष्य में जो परिस्थितियाँ अपीलार्थियों के विरुद्ध प्रस्तुत की गई हैं और धारा 313 Cr.P.C के तहत जो कथन रहे हैं उन्हें देखकर यह नहीं कहा जा सकता कि अपीलार्थियों को अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के विरूद्ध स्पष्टीकरण का अवसर नहीं दिया गया हो । उपरोक्त आधार पर यह अवधारणा नहीं की जा सकती कि अपीलार्थियों को इस घटना से न्याय की विफलता रही हो । [पारस 13 और 14] [1175-सी-जी]

अवतार सिंह और ओआरएस। वी. पंजाब राज्य 2002 (7) एस. सी. सी. 419; पंजाब राज्य बनाम हरि सिंह और अन्य। 2009 (4) एससीसी 200, प्रतिष्ठित।

सोराबखान गांधीखान पठान और अन्न। बनाम राज्य गुजरात 2004 (13) एस. सी. सी. 608; मदन लाल और अन्न। बनाम राज्य एच. पी. 2003 (7) एस. सी. सी. 465, संदर्भित।

2. अपीलार्थियों का तर्क़ है कि उनसे जो पदार्थ बरामद किये गये थे वह अफीम नहीं थी और अपीलार्थियों की दोषसिद्धि अवैध है क्योंकि डी. डब्ल्यू. 6 के साक्ष्य के आलोक में, मालखाना क्लर्क न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, ने अपने साक्ष्य में कहा है कि रिकॉर्ड के अनुसार 111 किलोग्राम अफीम गाज़ीपुर में भेजी गई थी और प्राप्त रिपोर्ट अनुसार यह देखा गया कि खेप में कोई क्षारीय पदार्थ नहीं था उक्त तर्क न तो निचली अदालत में और न उच्च न्यायालय के समक्ष उठाया गया । हालांकि यह तर्क आश्चर्यजनक है। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने डी. डब्ल्यू. 6 के साक्ष्य को आसानी से छोड़ दिया, कोई प्रतिपरीक्षा नहीं की । जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से अपदस्थ किया कि उन्हें यह नहीं बता सकते कि अफीम किस मामले से संबंधित है। इसके अलावा 100 ग्राम अफीम रासायनिक परीक्षक को भेज दी गई। जिसने अफीम होना पाया गया । डी. डब्ल्यू. 6 के दिमाग था कि 111 किलोग्राम अफीम भेजी गई थी। इसलिए, डी. डब्ल्यू. 6 द्वारा निर्दिष्ट सन्दर्भित रिपोर्ट को इस मामले से दूरस्थ प्रकृति का नहीं माना जा सकता [पैरा 15] [1175-जी-एच; 1176-ए-डी]

3. अभियोजन पक्ष के मामले को केवल इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है कि स्वतंत्र गवाह नहीं थे । अभिलेख पर साक्ष्य के मूल्यांकन के मामले में जांच की गई । अदालत अभियोजन पक्ष के मामले को भरोसेमंद समझती है। अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य में यह सामने आया है कि तलाशी के समय आमजन से व्यक्तिगत रूप से शामिल होने का प्रयास किया गया था, लेकिन कोई भी उपलब्ध नहीं था। केवल इसके सामने तलाशी के समय स्वतंत्र गवाह की अनुपस्थिति और जब्ती अभियोजन पक्ष के मामले को अविश्वसनीय रूप से प्रस्तुत नहीं करेगी । [पैरा 16] [1176-ई-जी]

मामला कानून संदर्भः

2004 (13) एस. सी. सी. 608 संदर्भित किया गया।	पैरा 8, 10
2003 (7) एस. सी. सी. 465 संदर्भित किया गया।	पैरा 9
2002 (7) एससीसी 419 प्रतिष्ठित।	पैरा 10
2009 (4) एससीसी 200 प्रतिष्ठित।	पैरा 14

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील सं. 1479/2008।

पंजाब और हरियाणा चंडीगढ़, उच्च न्यायालय के क्रिमिनल अपील सं. 686/1997 का डी. बी. ए. निर्णय दिनांकित 22.01.2008.

धर्मपाल सिंह बनाम पंजाब राज्य

के साथ

सीआरएल ए. नं. 1470/2008

अपीलार्थी की ओर से नागेंद्र राय, पं. परमानंद कटारा, ऋषि मल्होत्रा, प्रेम मल्होत्रा।

प्रत्यर्थी की ओर से कुलदिप सिंह।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था ।

चंद्रमौली क. प्रसाद, जे.

1. अपीलकर्ताओं ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा 1997 की आपराधिक अपील संख्या 686-डीबीए में पारित 22 जनवरी, 2008 के फैसले और आदेश से व्यथित होकर, इन अपीलों को अलग से प्रस्तुत किया है, जिसके तहत 7 मई को बरी करने के फैसले को उलट दिया गया था । 1997 सत्र न्यायाधीश, फरीदकोट द्वारा 1994 के सत्र मामले संख्या 73 (सत्र परीक्षण संख्या 71, 1994) में पारित अपीलकर्ताओं को नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 18 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया (इसके बाद इसे कहा जाएगा) । `अधिनियम') और उन्हें 10-10 साल की अवधि के लिए कठोर कारावास और प्रत्येक को 1 लाख रुपये का जुर्माना देने और डिफ़ॉल्ट रूप से एक-एक वर्ष की अवधि के लिए अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतने की सजा सुनाई।

2. अभियोजन पक्ष के अनुसार, 4 जून, 1994 को पीडब्लू.3, जगमोहन सिंह, पुलिस स्टेशन, मेहना के स्टेशन हाउस अधिकारी, सहायक पुलिस उप-निरीक्षक, रणजीत सिंह और अन्य पुलिस कर्मियों के साथ नियमित गश्त ड्यूटी पर थे। अजीतवाल से विभिन्न कॉलोनियों की ओर जाने वाला मार्ग। जब वे ड्यूटी पर थे तो एक सफेद मारुति कार, नंबर पीआईडी 6096, गांव कोकरी कलां की ओर से कच्ची सड़क से आती हुई दिखाई दी और जगमोहन सिंह द्वारा संकेत दिए जाने पर वह रुक गई। पूछताछ करने पर कार चला रहे व्यक्ति ने अपना नाम अपीलकर्ता धर्मपाल सिंह बताया, जबकि उसके बगल में आगे की सीट पर बैठे दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम अपीलकर्ता मेजर सिंह बताया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, स्टेशन हाउस ऑफिसर ने उन्हें बताया कि वे उनकी कार की तलाशी लेना चाहते हैं और क्या वे मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी की उपस्थिति में तलाशी लेना चाहते हैं। दोनों ने एक राजपत्रित पुलिस अधिकारी द्वारा तलाशी लेने की इच्छा व्यक्त की और उसके वायरलेस संदेश के अनुसार मोगा के पुलिस अधीक्षक नरिंदरपाल सिंह सुरक्षा कर्मियों के साथ वहां पहुंचे। अभियोजन पक्ष के अनुसार तलाशी में गवाही देने के लिए स्वतंत्र व्यक्तियों को शामिल करने का प्रयास किया गया लेकिन कोई भी उपलब्ध नहीं था। अत: पुलिस अधीक्षक की उपस्थिति में जगमोहन सिंह द्वारा कार की तलाशी ली गई और कार की डिकी में एक चमकीले कागज में लिपटी हुई अफीम से भरी एक बोरी बरामद हुई। बरामद अफीम का कुल वजन

65 किलोग्राम था और उसमें से 100 ग्राम का नमूना लेकर सीलबंद लिफाफे में रख दिया गया. लिया गया नमूना रासायनिक परीक्षक के पास भेजा गया, जिसने पाया कि वह अफीम है। जांच पूरी होने के बाद अधिनियम की धारा 18 के तहत आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया और अंततः अपीलकर्ताओं पर उपरोक्त धारा के तहत दंडनीय अपराध के लिए मुकदमा चलाया गया।

3. अभियोजन पक्ष ने अपने मामले के समर्थन में कुल मिलाकर सात गवाहों की जांच की और रासायनिक परीक्षक की रिपोर्ट को सबूत के रूप में पेश किया गया। आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत बयान में उन्होंने गलत आरोप लगाने की दलील दी और बचाव पक्ष के छह गवाहों से पूछताछ की। सबूतों की सराहना के बाद ट्रायल कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंची कि अभियोजन पक्ष अधिनियम की धारा 50 के अनुपालन को साबित करने में विफल रहा और तदनुसार दोनों अपीलकर्ताओं को उनके खिलाफ लगाए गए आरोप से बरी कर दिया गया। इस संबंध में ट्रायल कोर्ट ने निम्नलिखित टिप्पणी की थी:

> "इस मामले में, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट की धारा 50 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं हुआ है, जिसे अनिवार्य माना गया है। इस मामले में, माना जाता है कि कोई सहमति ज्ञापन तैयार नहीं किया गया था। पंजाब

राज्य बनाम मामले में लाभ सिंह ने 1997(1) हालिया आपराधिक रिपोर्ट 565 के रूप में रिपोर्ट की, जहां इस बात का कोई सबूत नहीं था कि आरोपी को राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष तलाशी लेने के उसके अधिकार के बारे में लिखित रूप से सूचित किया गया था, और आरोपी को अदालत द्वारा बरी कर दिया गया था। माननीय उच्चतम न्यायालय ने बरी करने के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। पंजाब राज्य-अपीलकर्ता बनाम कुलवंत सिंह के मामले में, 1994(1) के हालिया आपराधिक रिपोर्ट 303 के पृष्ठ 320 पर पैरा संख्या 57 में, यह हमारे द्वारा आयोजित किया गया था स्वयं माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि अधिनियम की धारा 50 के प्रावधानों का अनुपालन न करने से मुकदमा और दोषसिद्धि ख़राब हो जाएगी और यह संदिग्ध व्यक्ति से अपनी बेगुनाही स्थापित करने के सबसे मूल्यवान और वास्तविक अधिकार को छीनने के समान होगा। और नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थों की बरामदगी को आरोपी के कब्जे के लिए अवैध माना जाता है। इससे पता चलता है कि धारा 50 के प्रावधानों का अनुपालन न करना अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक है।"

4. बरी करने के आदेश से व्यथित होकर, राज्य ने अपील की और उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय द्वारा बरी करने के आदेश को रद्द कर दिया और उपरोक्तानुसार अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराया। उच्च न्यायालय ने पाया है कि चूंकि वसूली अपीलकर्ताओं के व्यक्ति से नहीं बल्कि कार की डिकी से की गई थी, इसलिए अधिनियम की धारा 50 के प्रावधान लागू नहीं थे और इसलिए इसके उल्लंघन का सवाल ही नहीं उठता। उच्च न्यायालय ने आगे कहा कि उनके पास 65 किलोग्राम अफ़ीम थी। इस संबंध में उच्च न्यायालय का निष्कर्ष इस प्रकार है:

> "यह जगमोहन सिंह, इंस्पेक्टर, स्टेशन हाउस ऑफिसर, पीएस मेहना, पीडब्लू-3, इस मामले के जांच अधिकारी और नरिंदर पाल सिंह, पुलिस अधीक्षक, पीडब्लू-2 के ठोस, ठोस, विश्वसनीय और निर्विवाद साक्ष्य से साबित हुआ है।, कि आरोपी धर्मपाल सिंह, कार संख्या पीआईडी6096 चला रहा था और आरोपी मेजर सिंह, प्रासंगिक समय पर, उसके बगल में, अगली सीट पर बैठा था, जब एक में लिपटी हुई 65 किलो ग्राम अफीम की बरामदगी हुई। उसी के डिकी में पड़े एक बोरे से चमकीला कागज निकाल लिया गया। उपरोक्त उल्लिखित पंजीकरण प्रमाण पत्र के अनुसार, कार आरोपी धर्मपाल सिंह के भाई की थी। चूंकि कार के खिलाफ कोई दुश्मनी नहीं थी। अभियोजन पक्ष के गवाहों पर या तो

आरोप लगाया गया था या साबित किया गया था, यह कल्पना नहीं की जा सकती थी कि उनके द्वारा आरोपियों के खिलाफ इतनी बड़ी मात्रा में अफीम लगाई जा सकती थी। चूंकि, उपरोक्त कार की डिकी से अफीम की बरामदगी की गई थी। आरोपी धर्मपाल सिंह द्वारा गाड़ी चलाई जा रही थी, जिसके बगल में सामने की सीट पर आरोपी मेजर सिंह बैठा था, यह सुरक्षित रूप से माना जा सकता है कि उन दोनों के पास समान (अफीम) पाया गया था।"

5. उच्च न्यायालय ने अधिनियम की धारा 35 और 54 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उनके पास जानबूझकर अफीम थी और तदनुसार अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराया और सजा सुनाई।

6. 2008 की आपराधिक अपील संख्या 1479 में अपीलकर्ता की ओर से श्री नागेंद्र राय, विद्वान वरिष्ठ वकील उपस्थित हुए, जबकि 2008 की आपराधिक अपील संख्या 1470 में अपीलकर्ता का प्रतिनिधित्व विद्वान वरिष्ठ वकील पंडित परमानंद कटारा ने किया। वे मानते हैं कि वर्तमान मामले के तथ्यों में, अधिनियम की धारा 50 लागू नहीं होती है, जिस आधार पर ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ताओं को बरी कर दिया था, लेकिन वे इसके बाद उल्लिखित आधार पर अपीलकर्ताओं की सजा पर सवाल उठाते हैं ।

7. श्री राय का कहना है कि अधिनियम की धारा 18 के तहत दोषसिद्धि के लिए कब्ज़ा एक सचेत कब्ज़ा होना चाहिए और केवल यह तथ्य कि अफ़ीम कार की डिकी में पाया गया था, जिसे अपीलकर्ता स्वयं चला रहा था, नहीं माना जाएगा सचेत कब्ज़ा स्थापित करें. अपनी दलील के समर्थन में उन्होंने अवतार सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य , 2002 (7) एससीसी 419 के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा जताया है, और हमारा ध्यान पैराग्राफ 6 से निम्नलिखित अंश की ओर आकर्षित किया गया है। निर्णय जो इस प्रकार है:

"वर्तमान मामले में अभियुक्तों को धारा 15 के तहत सजा दिए जाने से पहले कब्ज़ा स्थापित किया जाना मुख्य घटक है। यदि अभियुक्तों के पास पोस्ता भूसा पाया जाता है जो खंड (xiv) के अर्थ के तहत एक मादक दवा है। धारा 2 के अनुसार, यह उनका काम है कि वे इस तरह के कब्जे का संतोषजनक ढंग से हिसाब दें; यदि नहीं, तो धारा 54 के तहत अनुमान लागू होता है। हमें इस पहलू पर जाने की जरूरत नहीं है कि कब्जा सचेतन कब्जा होना चाहिए या नहीं। शायद निर्णय से संकेत लेते हुए इस न्यायालय में इंदर सेन बनाम पंजाब राज्य के मामले में, जो कि अफीम अधिनियम के तहत उत्पन्न हुआ था, विद्वान ट्रायल जज ने आरोपी पर जानबूझकर पोस्ता की भूसी रखने का आरोप

लगाया। यह मानते हुए कि पोस्ता की भूसी पोस्ता भूसी की अभिव्यक्ति के अंतर्गत आती है, तथापि, सवाल यह है कि क्या अभियोजन पक्ष ने इस तथ्य को संतोषजनक ढंग से साबित कर दिया कि अभियुक्तों के पास पोस्ता की भूसी थी। पीडब्लू 4, हेड कांस्टेबल के साक्ष्य को स्वीकार करते हुए, यह देखा गया कि अपीलकर्ता 3 (अभियुक्त 4) पोस्ता की भूसी के बैग से भरा वाहन चला रहा था। अपीलकर्ता 1 और 2 (अभियुक्त 1 और 2) ट्रक में रखे बैगों पर बैठे थे। जैसे ही एएसआई (पीडब्ल्यू 2) द्वारा वाहन रोका गया, ड्राइवर के बगल में केबिन में बैठा एक व्यक्ति और ट्रक के पीछे बैठा दूसरा व्यक्ति भाग गया। प्रत्येक आरोपी द्वारा निभाई गई भूमिका और आरोपी और आपत्तिजनक सामान के बीच सांठगांठ का पता लगाने के लिए किसी जांच का निर्देश नहीं दिया गया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि "कब्जा" शब्द के अलग-अलग अर्थ हैं और यह अपने अर्थ में काफी लोचदार है। कब्ज़ा और स्वामित्व हमेशा एक साथ चलने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन न्यूनतम अपेक्षित तत्व जिसे पूरा करना होता है वह है माल की हिरासत या नियंत्रण। क्या रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि तीन अपीलकर्ताओं-जिनमें से एक वाहन चला

रहा था और अन्य दो बैगों पर बैठे थे, के पास ऐसी हिरासत या नियंत्रण था? उचित संदेह से परे ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचना कठिन है। साक्ष्यों से यह पता चलता है कि अपीलकर्ता ही वाहन में अकेले सवार नहीं थे। केबिन में बैठे एक व्यक्ति और ट्रक के पीछे बैठे एक अन्य व्यक्ति ने पुलिस को देखकर खुद को दूर कर लिया और अभियोजन पक्ष उनकी पहचान स्थापित नहीं कर सका। यह काफी संभव है कि उनमें से एक माल का संरक्षक हो सकता है, चाहे वह मालिक हो या नहीं। जो व्यक्ति केवल थैलों पर बैठे थे, किसी और सबूत के अभाव में यह नहीं माना जा सकता कि उनके पास सामान है।"

8. एक अन्य निर्णय जिस पर भरोसा किया गया है वह सोराबखान गंधखान पठान और अन्य बनाम गुजरात राज्य, 2004 (13) एससीसी 608 के मामले में इस न्यायालय का निर्णय है, जिसमें इसे इस प्रकार रखा गया है:

"7. हालांकि, हमने देखा है कि जहां तक अभियुक्त 1, अपीलकर्ता 1 का संबंध है, उसके कब्जे से विवादास्पद मादक पदार्थ जब्त कर लिया गया है और, हमारी राय में, अभियोजन पक्ष ने उक्त अभियुक्त और नीचे की अदालतों के

खिलाफ मामला स्थापित किया है उक्त अपीलकर्ता को सही ढंग से दोषी ठहराया गया है। जबकि अपीलकर्ता 2 के संबंध में, यह अभियोजन पक्ष का ही मामला है कि वह तीन अन्य व्यक्तियों के साथ ऑटोरिक्शा में यात्रा कर रहा था। अभियोजन पक्ष ने यह साबित करने के लिए कोई भी सामग्री पेश नहीं की है कि इस अपीलकर्ता के पास यह मामला था। यह जानते हुए कि अपीलकर्ता 1 मादक द्रव्य ले जा रहा था या किसी भी तरह से उक्त अभियुक्त के साथ मादक द्रव्य ले जाने में मिलीभगत कर रहा था। ऐसी किसी भी सामग्री के अभाव में, दूसरे अपीलकर्ता को केवल इस आधार पर दोषी ठहराया जाए कि वह ऑटोरिक्शा में पाया गया था, हमारी राय में, उचित नहीं है। वास्तव में, नीचे की अदालतों ने अन्य दो आरोपियों को समान आधार पर बरी कर दिया है और, हमारी राय में, उक्त लाभ आरोपी 2 को भी मिलना चाहिए था। बताए गए कारणों से, हम पाते हैं कि अभियोजन पक्ष अपीलकर्ता 2 के खिलाफ अपना मामला स्थापित करने में विफल रहा है। इसलिए, जहां तक उसका संबंध है, यह अपील सफल होती है और इसकी अनुमति दी जाती है। उक्त अपीलकर्ता 2, यदि हिरासत में है, यदि किसी अन्य मामले में वांछित नहीं है, तो उसे तुरंत रिहा कर दिया

जाएगा। हालाँकि, प्रथम अपीलकर्ता की अपील खारिज की जाती है।"

9. हमें विद्वान वकील की इस दलील में कोई तथ्य नहीं मिला। अपीलकर्ता, धर्मपाल सिंह को कार चलाते हुए पाया गया, जबकि अपीलकर्ता, मेजर सिंह उनके साथ यात्रा कर रहे थे और कार की डिकी से 65 किलोग्राम अफीम बरामद की गई। अपीलकर्ता, धर्मपाल सिंह द्वारा संचालित और अपीलकर्ता, मेजर सिंह द्वारा कब्जा किया गया वाहन सार्वजनिक परिवहन वाहन नहीं है। यह सामान्य बात है कि अपराध को अधिनियम की धारा 18 के अंतर्गत लाने के लिए कब्ज़ा सचेतन कब्ज़ा होना चाहिए। कब्जे के सबूत का प्रारंभिक बोझ अभियोजन पक्ष पर है और एक बार जब यह छूट जाता है तो कानूनी बोझ आरोपी पर स्थानांतरित हो जाएगा। अभियोजन पक्ष से अपेक्षित साक्ष्य का मानक सभी उचित संदेहों से परे कब्जे को साबित करना है, लेकिन अभियुक्त द्वारा निर्दोषता साबित करने के लिए संभाव्यता की प्रबलता की आवश्यकता होगी। एक बार जब आरोपी की याचिका संभावित पाई जाती है, तो अभियोजन पक्ष द्वारा प्रारंभिक बोझ का निर्वहन उसे अपराध में दोषी नहीं ठहराएगा। अधिनियम के तहत अपराध प्रकृति में अधिक गंभीर होने के कारण किसी आरोपी को दोषी ठहराने के लिए उच्च स्तर के सबूत की आवश्यकता होती है। इस बात पर जोर देने की कोई आवश्यकता नहीं है कि अभिव्यक्ति अधिकार सभी क़ानूनों के संदर्भ में सार्वभौमिक अनुप्रयोग की सटीक और पूरी तरह

से तार्किक परिभाषा देने में सक्षम नहीं है। कब्ज़ा एक बहुरूपी शब्द है और इसे समान रूप से लागू नहीं किया जा सकता है, यह अलग-अलग संदर्भ में अलग-अलग रंग ग्रहण करता है। अधिनियम की धारा 18 के संदर्भ में , एक बार कब्ज़ा स्थापित हो जाने पर अभियुक्त, जो दावा करता है कि यह एक सचेत कब्ज़ा नहीं था, को इसे स्थापित करना होगा क्योंकि यह उसके विशेष ज्ञान के भीतर है। अधिनियम की धारा 54 अवैध वस्तुओं के कब्जे से अनुमान लगाती है। इसे इस प्रकार पढ़ा जाता है :

> "54. अवैध वस्तुओं के कब्जे से उपधारणा।-इस अधिनियम के तहत परीक्षणों में, यह माना जा सकता है, जब तक कि इसके विपरीत साबित न हो जाए, कि अभियुक्त ने इस अधिनियम के तहत निम्नलिखित के संबंध में अपराध किया है -
>
> (ए) कोई भी स्वापक औषधि या मन:प्रभावी पदार्थ या नियंत्रित पदार्थ;
>
> (बी) किसी भी भूमि पर उगने वाला कोई भी अफीम पोस्त, भांग का पौधा या कोका का पौधा, जिस पर उसने खेती की है;
>
> (सी) विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया कोई उपकरण या किसी स्वापक औषधि या मन:प्रभावी पदार्थ या नियंत्रित

पदार्थ के निर्माण के लिए विशेष रूप से अपनाए गए बर्तनों का कोई समूह; या

(डी) कोई भी सामग्री जो किसी स्वापक औषधि या मन:प्रभावी पदार्थ या नियंत्रित पदार्थ के निर्माण की दिशा में किसी प्रक्रिया से गुजरी हो, या उस सामग्री का कोई अवशेष बचा हो जिससे किसी स्वापक औषधि या मन:प्रभावी पदार्थ या नियंत्रित पदार्थ का निर्माण किया गया हो, कब्जे के लिए जिसका वह संतोषजनक ढंग से हिसाब देने में विफल रहता है।"

उपरोक्त को स्पष्ट रूप से पढ़ने से यह स्पष्ट है कि यह एक कानूनी कल्पना रचता है और यह मानता है कि अवैध वस्तुओं के कब्जे वाले व्यक्ति ने अपराध किया है, यदि वह कब्जे का संतोषजनक हिसाब देने में विफल रहता है। कब्ज़ा एक मानसिक स्थिति है और अधिनियम की धारा 35 दोषी मानसिक स्थिति को वैधानिक मान्यता देती है। इसमें तथ्य का ज्ञान सम्मिलित है। इसलिए, कब्जे को उसके संदर्भ में समझा जाना चाहिए और जब इस पर परीक्षण किया गया, तो हमने पाया कि अपीलकर्ता अफीम के कब्जे के लिए संतोषजनक ढंग से जवाब देने में सक्षम नहीं हैं। एक बार कब्ज़ा स्थापित हो जाने पर न्यायालय यह मान सकता है

कि अभियुक्त की मानसिक स्थिति ख़राब थी और उसने अपराध किया है। कुछ इसी तरह के तथ्यों में इस न्यायालय को मदन लाल और अन्य बनाम एचपी राज्य , 2003 (7) एससीसी 465 के मामले में इस प्रश्न पर विचार करने का अवसर मिला, जिसमें इसे इस प्रकार रखा गया है:

> "26. एक बार कब्ज़ा स्थापित हो जाने के बाद, जो व्यक्ति दावा करता है कि यह एक सचेत कब्ज़ा नहीं था, उसे इसे स्थापित करना होगा, क्योंकि उसका कब्ज़ा कैसे हुआ यह उसके विशेष ज्ञान में है। अधिनियम की धारा 35 इस स्थिति को वैधानिक मान्यता देती है कानून में उपलब्ध अनुमान के कारण। धारा 54 के संदर्भ में भी यही स्थिति है, जहां अवैध वस्तुओं के कब्जे से भी अनुमान निकाला जा सकता है।
>
> 27. वर्तमान मामले के तथ्यात्मक परिदृश्य में, न केवल कब्ज़ा बल्कि सचेत कब्ज़ा स्थापित किया गया है। अभियुक्त-अपीलकर्ताओं द्वारा यह नहीं दिखाया गया है कि कब्जा अधिनियम की धारा 35 और 54 की तार्किक पृष्ठभूमि में सचेत नहीं था।"

10. अब, अवतार सिंह (सुप्रा) के मामले में इस न्यायालय के फैसले का जिक्र करते हुए, यह स्पष्ट रूप से अलग है। उक्त मामले में, स्वयं अभियोजन पक्ष के अनुसार, चूरा पोस्त की बोरियों से भरा वाहन एक ट्रक था और जब उसे रोका गया तो केबिन में बैठा एक व्यक्ति और ट्रक के पीछे बैठा एक अन्य व्यक्ति भाग गए। उक्त मामले में आरोपी अकेले कब्जेदार नहीं थे और उक्त पृष्ठभूमि में इस न्यायालय ने माना कि उनके पास सामान का कब्जा नहीं माना जा सकता है और यह काफी संभव है कि जो लोग भाग गए उनमें से एक उसका संरक्षक हो सकता है।. हालाँकि, वर्तमान मामले में विचाराधीन वाहन एक परिवहन वाहन नहीं है और इसलिए, सार्वजनिक परिवहन वाहनों के मामले में लागू परीक्षण जिसमें कई व्यक्ति यात्रा करते हैं, वर्तमान मामले के तथ्यों में लागू नहीं किया जा सकता है। इसी तरह, सोराबखान गंधखान पठान (सुप्रा) के मामले में मादक पदार्थ एक ऑटोरिक्शा से बरामद किया गया था और विशिष्ट मामले के अभाव में कि आरोपी को प्रतिबंधित पदार्थ ले जाने की जानकारी थी, केवल इस आधार पर कि वह एक ऑटोरिक्शा में यात्रा कर रहा था, कब्जा नहीं किया जा सकता है । अनुमान लगाया जाना। उपरोक्त कारणों से यह मामला अपीलकर्ताओं के लिए कोई सहायता नहीं है।

11. इसके बाद श्री राय का कहना है कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत जांच के दौरान अपीलकर्ताओं के पास सचेत रूप से अफीम का कब्ज़ा था, यह उनके सामने नहीं रखा गया था और इसलिए

केवल इस आधार पर अपीलकर्ताओं की सजा को रद्द कर दिया गया है।. वह बताते हैं कि यह बहुत मूल्यवान अधिकार है और इसका उल्लंघन अपीलकर्ताओं की सजा को कानून में बुरा मानने के लिए पर्याप्त है। विवाद के समर्थन में पंजाब राज्य बनाम हरि सिंह और अन्य , 2009(4) एससीसी 200 के मामले में इस न्यायालय के फैसले के पैराग्राफ 9 और

18 का संदर्भ दिया गया है, जो इस प्रकार है:

"9. उच्च न्यायालय के समक्ष आरोपी व्यक्तियों का रुख यह था कि किसी भी सचेत कब्जे को दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं था जो अधिनियम की धारा 15 के तहत दोषसिद्धि दर्ज करने के लिए एक अनिवार्य शर्त है। इसके अतिरिक्त, यह प्रस्तुत किया गया था कि कब्जे के संबंध में कोई प्रश्न नहीं था दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में "संहिता") की धारा 313 के तहत उनमें से किसी को भी उनकी परीक्षा में रखा जाए ।

18. जब आरोपी से धारा 313 सीआरपीसी के तहत पूछताछ की गई, तो आरोप का सार उसके ध्यान में नहीं लाया गया, विशेष रूप से, कब्जे का पहलू, जैसा कि इस न्यायालय ने अवतार सिंह बनाम पंजाब राज्य में देखा था ।

ऐसी चूक का प्रभाव अभियोजन मामले पर महत्वपूर्ण रूप से प्रभाव डालता है।"

12. हम श्री राय के इस निवेदन से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत जांच के दौरान अपीलकर्ताओं को दिए गए साक्ष्य में दिखाई देने वाली परिस्थितियों में से एक, और इसका उत्तर इस प्रकार है:

"प्र. आपके खिलाफ सबूत है कि एसपी नरिंदरपाल सिंह की मौजूदगी में इंस्पेक्टर जगमोहन सिंह ने कार की डिकी की तलाशी ली और डिकी से अफीम से भरी बोरी बरामद की। अफीम का वजन करने पर 65 किलोग्राम 100 ग्राम अफीम निकली।"

सैंपल के तौर पर बाहर निकाला गया और बची हुई अफीम को पांच टिन के बक्सों में डाल दिया गया, जिन्हें एसपी नरिंदरपाल सिंह और इंस्पेक्टर जगमोहन सिंह के जेएस एनपीएस की सील से सील कर दिया गया। मेमो के जरिए कब्जे में ले ली गई सील की एक्स.पीबी छाप भी तैयार की गई जो एक्स.पी7 और एक्स.पी8 हैं और उपयोग के बाद दोनों सीलें एएसआई रणजीत सिंह को सौंप दी गईं। आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं?

उ. यह ग़लत है।"

निष्पक्ष सुनवाई के भाग के रूप में, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 में अभियुक्त को अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य में उसके खिलाफ दिखाई देने वाली परिस्थितियों के बारे में अपना स्पष्टीकरण देने का अवसर देने की आवश्यकता होती है। इसके पीछे का उद्देश्य आरोपी को उन परिस्थितियों को समझाने में सक्षम बनाना है। संपूर्ण अभियोजन साक्ष्य रखना और उत्तर प्राप्त करना आवश्यक नहीं है, बल्कि केवल वे परिस्थितियाँ जो अभियुक्त के प्रतिकूल हैं और उसके स्पष्टीकरण से अदालत को साक्ष्य का उचित मूल्यांकन करने में मदद मिलेगी। परिस्थितियाँ डालनी होती हैं, निष्कर्ष नहीं। यह कोई बेकार की औपचारिकता नहीं है और पूछताछ निष्पक्ष होनी चाहिए और आरोपी की समझ में आने योग्य रूप में होनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि चूक आवश्यक रूप से मुकदमे को ख़राब कर देगी। इस आधार पर मुकदमा तभी ख़राब होगा जब वास्तव में यह पाया जाएगा कि इससे न्याय की विफलता हुई है।

13. उपरोक्त सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए जब हम वर्तमान मामले के तथ्यों पर विचार करते हैं तो हम पाते हैं कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने का इरादा रखता है कि अपीलकर्ताओं के पास अफीम थी, यह खुलासा करके कि अवैध वस्तु संचालित और कब्जे वाले वाहन की डिकी से बरामद की गई थी। उनके द्वारा। कब्ज़ा एक मानसिक स्थिति है और

अभियोजन पक्ष द्वारा जो खुलासा किया गया है वह यह है कि कार की डिकी की तलाशी लेने पर अफ़ीम बरामद की गई थी। उपरोक्त परिस्थितियों से यह निष्कर्ष निकलता है कि अपीलकर्ता जानबूझकर कब्जे में थे। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता कि अपीलकर्ताओं को साक्ष्य में उनके विरुद्ध दिखाई देने वाली परिस्थितियों को स्पष्ट करने के लिए नहीं कहा गया था।

14. अब, अपीलकर्ताओं द्वारा भरोसा किए गए हरि सिंह (सुप्रा) में इस न्यायालय के फैसले का जिक्र करते हुए, यह स्पष्ट रूप से अलग है। उक्त मामले में आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत परीक्षा में अभियुक्त से कब्जे के संबंध में कोई प्रश्न नहीं पूछा गया था, जो कि ऊपर उद्धृत निर्णय के पैराग्राफ 9 से स्पष्ट होगा और इसकी पृष्ठभूमि में न्यायालय ने इस तरह की चूक को माना। अभियोजन पक्ष के मामले को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करना। मौजूदा मामले में हमने साक्ष्य में अपीलकर्ताओं के खिलाफ दिखाई देने वाली परिस्थितियों को विस्तार से दोहराया है और वास्तव में पाया है कि उनके खिलाफ दिखाई देने वाली परिस्थितियों को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत उनके बयान में रखा गया था । किसी भी दृष्टि से इससे न्याय की विफलता नहीं हुई है।

15. पंडित कटारा ने श्री राय की दलील को स्वीकार करते हुए कहा कि अपीलकर्ताओं से बरामद वस्तु अफीम नहीं है और इसलिए, उनकी

दोषसिद्धि अवैध है। उपरोक्त कथन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत के मालखाना क्लर्क डीडब्ल्यू.6, स्वर्ण कुमार के साक्ष्य के आलोक में स्थापित किया गया है, जिन्होंने अपने साक्ष्य में कहा है कि रिकॉर्ड के अनुसार 111 किलोग्राम अफ़ीम ग़ाज़ीपुर भेजा गया था और प्राप्त रिपोर्ट से यह देखा गया है कि उक्त खेप में कोई एल्कलॉइड नहीं था। ट्रायल कोर्ट या हाई कोर्ट के समक्ष ऐसी कोई याचिका नहीं उठाई गई थी और हालांकि इस याचिका ने हमें आश्चर्यचकित कर दिया, हमने इसकी जांच की है। हमारे मन में कोई संदेह नहीं है कि यदि रिपोर्ट मौजूदा मामले से संबंधित है, तो अपीलकर्ताओं को अफीम रखने का दोषी नहीं ठहराया जा सकता है और उन्हें बरी किया जाना चाहिए। लेकिन यह वैसा नहीं है। पंडित कटारा ने जिरह में इस गवाह का साक्ष्य आसानी से छोड़ दिया है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि वह यह नहीं बता सकते कि यह मामला किस मामले में अफीम से संबंधित है। अन्यथा वर्तमान मामले में भी 100 ग्राम अफ़ीम रसायन परीक्षक को भेजी गई थी, जिसने पाया कि वह अफ़ीम है। इस गवाह के दिमाग में एक मामला था जिसमें 111 किलोग्राम अफ़ीम भेजी गई थी. इसलिए, DW.6 सरवन कुमार द्वारा संदर्भित रिपोर्ट का वर्तमान मामले से दूर-दूर तक कोई संबंध नहीं है।

16. पंडित कटारा ने आगे कहा था कि तलाशी और जब्ती के किसी भी स्वतंत्र गवाह की जांच नहीं की गई थी और अकेले इस आधार पर तलाशी और जब्ती को अवैध करार दिया गया है। उनका कहना है कि

आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 100 की कठोरता लागू है और कोई स्वतंत्र गवाह नहीं होने के कारण अभियोजन का मामला खारिज कर दिया जाना चाहिए। हमें श्री कटारा की दलील में कोई दम नजर नहीं आता। अभियोजन के मामले को केवल इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है कि स्वतंत्र गवाहों की जांच नहीं की गई है, मामले में रिकॉर्ड पर साक्ष्य के मूल्यांकन पर अदालत अभियोजन के मामले को भरोसेमंद मानती है। अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य में यह आया है कि तलाशी के समय जनता से किसी व्यक्ति को मिलाने का प्रयास किया गया लेकिन कोई उपलब्ध नहीं हो सका। इसके सामने तलाशी और जब्ती के समय स्वतंत्र गवाह की अनुपस्थिति मात्र अभियोजन के मामले को अविश्वसनीय नहीं बना देगी।

17. हमें इन अपीलों में कोई योग्यता नहीं मिली और तदनुसार इन्हें खारिज किया जाता है।

अपील ख़ारिज

यह अनुवाद आर्टिफिसियल इंटेलिजेंस टूल सुवास की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी गजेन्द्र सिंह तेनगुरिया (आर.एच्.जे.एस.) सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, श्रीगंगनगर द्वारा किया गया है|

अस्वीकारण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझने के सिमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा